187

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वा.....

निग - 2366 - I - 16

प्रकरण क्र. ...../...../.....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री चमरूलाल मसकाम पिता काशीराम मसराम
निवासी ग्राम देवरीकला तहसील कुण्डम जिला जबलपुर।

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
2. श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता पिता श्री कैलाशचंद गुप्ता निवासी मकान नं. बी-3 कटारिया होम्स बिगबाजार के पास नर्मदा रोड, तहसील व जिला जबलपुर ।

अपील अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 64/अ-21/2014-15 में पारित **आदेश** दि 20/06/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत्** यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।
2. यह कि आवेदक अपीलकर्ता आदिवासी श्री चमरूलाल मसकाम पिता काशीराम मसराम निवासी ग्राम देवरीकला तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **सूपावारा नं.बं. 471** प. ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 153, 155, 158, 159 रकवा क्रमशः 0.460, 0.590, 0.710, 0.680हे. कुल रकवा 2.440हे. भूमि अनावेदक गैर आदिवासी श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता पिता श्री कैलाशचंद गुप्ता निवासी मकान नं. बी-3 कटारिया होम्स बिगबाजार के पास नर्मदा रोड, तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 23/04/2015 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
3. प्रकरण में तहसीलदार कुण्डम द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 22/12/2015 (Annexure-3) में प्रतिवेदित किया गया कि भूमि विक्रय अनुमति उपरांत ग्राम डूडा, डोली एवं देवरीकला आदि ग्रामों में कुल 5.90 हेक्टेयर भूमि शेष बचेगी। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित भूमि विक्रय के पश्चात् आवेदक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है तथा आवेदक के आर्थिक हितों एवं अन्य में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेदित भूमि असिंचित है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा क्रय की गई थी, आवेदक के साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो रहा है और भूमि विक्रय से आदिवासी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
4. तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 06/अ-21/15-16 में प्रतिवेदन दि. 26/12/2015 (Annexure-4) के माध्यम से अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर जबलपुर को अग्रेषित किया गया है।
5. प्रकरण में आवेदक चमरूलाल मसराम द्वारा दिनांक 18/04/2016 को स्वयं कलेक्टर न्यायालय जबलपुर में उपस्थित हुए परन्तु पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण /भारमुक्त हो जाने एवं नए पदस्थ पीठासीन अधिकारी(कलेक्टर जबलपुर) के अवकाश पर होने के

चमरू सिंह

11 JUL 2016

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 2366-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-7-16	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 64/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-6-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अधिवक्ताकओं के तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । प्रकरण दिनांक 20-6-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाता हूँ कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा प्रति-अपीलार्थी श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सूपावारा प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 153, 155, 158 एवं	

निग. - 2366. I/16 (जबलपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	159 रकबा क्रमशः 0.460, 0.590, 0.710 एवं 0.168 हैक्टर को विक्रय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर को जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, कुण्डम को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि अपीलार्थी द्वारा क्रय की गई है । अपीलार्थी को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से अपीलार्थी के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय के उपरांत अपीलार्थी के पास 5.90 हैक्टर भूमि शेष बचेगी । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि विक्रय कीअनुमति देने से उसके आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-6-16 निरस्त किया जाता है एवं यह अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम ग्राम सूपावारा प.ह.नं. 47 रा.नि.मं. कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 153, 155, 158 एवं 159 रकबा क्रमशः 0.460, 0.590, 0.710 एवं 0.168 हैक्टर कुल रकबा 2.440 हैक्टर को विक्रय को विक्रय की	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 2366-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	